

फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग फीस

प्रह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्युशर के टेस्टिंग फीस जमा करने के सम्बन्ध में।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद कोतवाली / गाजिबाद उत्तर प्रदेश।
 पत्र संख्या: 5/2702/अ.क/2019 दिनांक: 29-11-2019


स्वामी / प्रबन्धक,
श्री न सिटी परिसर, स्कूल जी-
ब्लॉक गोकुलपुरम गाजिबाद
 जनपद.....

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या: NIL दिनांक: 19/11/2019
 के कम में आपके संस्थान में उपलब्ध 10-1 अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश
 संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक:27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 100/- भारतीय स्टेट बैंक
 शाखा राजनगर जनपद गाजिबाद में चालान संख्या: KP.0080 दिनांक 25-11-2019
 द्वारा जमा किये जाने के उपरान्त 10-1 अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग की गयी:-

- चेकिंग का दिनांक। 20-11-2019
- संस्थान का विवरण। उपरोक्त
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्युशरों की संख्या। 10-1
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्युशर का विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्युशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	ABC फायर एक्स	05 kg	10 -	10 / कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग फीस जमा की गयी / National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। जिसको पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।


 (सुशील कुमार)
 अग्निशमन अधिकारी
 कोतवाली - गाजिबाद